

6/7/2023

पत्राण पेडा इडी) लकु. उप.) प्रानी का धारणा -पत्र
128 LR Act के तहत स्वीकार करते हुए धारा
111 के अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसीलदार
नदबई को आदेशित किया जाता है कि आप विवादि
शारणी ख. नं. 1235 वाले कंच का सीमाज्ञापन कराया

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम व तारीख
अद्वैत जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

आवे। तथा खतरा नं 1235 की सीमा
कहाँ से कहीं तक है स्पष्ट करते
हुए पैमाने अनुसार मुझे जवाब।
व खतरा नं 1235 की सीमा में
अन्य किसी के कब्जे में हो उसे
बैकूल्पा किया जाकर जमीन को
कब्जा सुपुर्द किया जावे। उक्त
शाराहीमत पर उक्त पैमाने आदेश
न्यायालय द्वारा जारी हुअन आदेश
प्रभावित नहीं होगा। निम्न प्रक
से लिखवाया जाकर पत्रावली
प्रेसल सुमार होकर दाखिल
करावे है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)